

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0स0-6/एन0-08-34/2018-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-574(6), दिनांक-27.06.2018 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में प्रखर सोसाईटी, जगत नारायण रोड, हाउस नं०-78, कदम कुआँ, पटना-800003 द्वारा प्रस्तावित एम0जी0एम0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड परामेडिकल स्कूल, आजाद नगर, पटना के नाम से जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-860(6), दिनांक-17.09.2018 द्वारा डॉ० अशोक कुमार यादव, उपा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में निरीक्षण समिति का गठन किया गया। निरीक्षण समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - निरीक्षण समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त एम0जी0एम0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड परामेडिकल स्कूल, आजाद नगर, पटना को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(iii) के आलोक में जी0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2018-21) के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, पटना समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापंक : 6/एन0-08-34/2018.1292(6)

पटना दिनांक 24/11/18

- प्रतिलिपि:- सचिव, प्रखर सोसाईटी, जगत नारायण रोड, हाउस नं0-78, कदम कुआँ, पटना-800003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/11/18

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।